

(पद.....)

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशंसा के पश्चात ग्राम फागी परिसर के खाता सं. 53 खसरा नं. .... में आदेश पत्र अनुसार धनश्याम प्रधान पुत्र सुरजमल उर्फ धरमल इति किये जाने के के स्थान पर धनश्याम प्रधान पुत्र सुरजमल प्रधान आदेश दिये जाते है। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचारार्थीन नहीं होने की जांच कर आदेश की प्रालना सुनिश्चित करें। आदेश कम्प न्यायालय F.A. ग्राम पंचायत फागी में दिनांक 30/6/25 को मजमेआम में सुनाया गया।



30/6/25  
उपस्थित तहसीलदार  
फागी